झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....31........ वर्ष 20.23...

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सरस्वती देवी एवं अन्य
ग्राम - टेंगरा, पँचायत - कोशी
थाना - हुसैनाबाद, पलामू

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
21.6.23	**वाद सं0–31 / 2023** परिवादी श्रीमती सरस्वती देवी एवं अन्य, ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, पलामू का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। परिवदी द्वारा कोशी पंचायत के PDS वितरक अलखदेव सिंह, अनु0 सं0–45 / 85 के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैः– 1. माह सितम्बर से फरवरी तक का राशन नहीं दिया गया है। 2. कुछ लाभुकों को सितम्बर से दिसम्बर तक दो में से एक ही राशन दिया है। 3. PDS डीलर द्वारा बगैर राशन दिये लाभुकों से अंगूठा लगवा लिया गया है। 4. PDS दुकान अनियमित रूप से कभी–कभी ही खुला रहता है। 5. शिकायत करने पर डीलर द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। 6. डीलर द्वारा लाभुकों को प्रति यूनिट आधा कि0ग्रा0 कम अनाज दिया जाता है। साथ ही खाद्यान्न का उठाव क़रते समय ईंट, पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–10.07.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। 21.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश. . . docx119	